

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/258

दिनांक:- 9-6-17

कोषाधिकारी ;
चित्तौड़गढ़

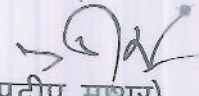
विषय :- श्री गुलाब चन्द जाट कनिष्ठ लेखाकार को तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र संख्या 34 दिनांक 26.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि श्री गुलाब चन्द जाट कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय एसीपी दिनांक 06.10.2015 से स्वीकृत की गई है जिसके पश्चात 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं होने के कारण इन्हे दिनांक 16.04.2017 से तृतीय एसीपी स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।

भवदीय


(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/258

दिनांक:- 9-6-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
2. उपनिदेशक (एसीपी), विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)